Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
27 अगस्त 2017

निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पॉपुलर फ्रंट ने किया स्वागत

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नई दिल्ली में स्थापित मुख्यालय में संगठन की केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान के मुताबिक मौलिक अधिकार क़रार दिया है।

9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसी तरह संविधान के तीसरे भाग में दी गई आज़ादियों का भी यह हिस्सा है। यह फैसला मौजूदा और आने वाली सरकारों के लिए, जो विभिन्न प्रकार के कारण बता कर निजता के अधिकार को सीमित करने की कोशिश कर सकती हैं, एक खुली चेतावनी है। सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि संविधान के मुताबिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर यह आखरी फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आधार, बीफ बैन आदि जैसे अनेक मामलों पर अदालत के फैसलों में देखने को मिलेगा। बैठक ने कहा कि इससे नागरिकों के हाथ मज़बूत हुए हैं और उन्हें उनकी निजता के खिलाफ किसी भी सरकारी कार्यवाई को चैलेंज करने का कानूनी हक़ मिला है।

केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने यह भी कहा कि एक बैठक की तीन तलाक़ पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग पर्स्नल लॉ को मौलिक अधिकार बताया है। उल्लेखनीय है कि एक बैठक में तीन तलाक़ के अमल को गैरकानूनी क़रार देते हुए उस पर पाबंदी लगाने के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनिश्ति किया है कि फैसले का पर्स्नल लॉ में दखल देने के लिए दुरूपयोग न किया जाए।

इसके अलावा बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे फैसले पर हैरत और आश्चर्य का इज़हार किया, जिसमें कोर्ट ने एक 24 वर्षीय नौमुस्लिम लड़की हादिया की बात सुने बग़ैर ही उसकी शादी की जाँच एनआईए को सौंप दी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस महिला का समर्थन नहीं किया जिसे सिर्फ इस वजह से उसकी मर्ज़ी के खिलाफ घर में बंद कर दिया गया है कि उसने अपने माता–पिता से अलग धर्म अपनाया और अपनी पसंद के लड़के से शादी की। यह नज़रिया एक ऐसे देश में बड़ा ही अजीब लगता है, जहाँ कोई भी बालिग़ नागरिक शादी या बग़ैर शादी के अपनी पसंद के किसी भी मर्द या औरत के साथ आज़ादाना तौर पर संबंध बना सकता है।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की। वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, ई.एम. अब्दुर्रहमान और अब्दुलवाहिद सेठ इस बैठक में शरीक रहे।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
जनरल सेक्रेटरी
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया